

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक- 3032/12-1 दिनांक, चकराता 13 अप्रैल 2015

सेवा में,

वन संरक्षक,  
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,  
देहरादून

विषय:- जनपद-देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत रायगी-कुल्हा मोटर मार्ग निर्माण (लं0-7.30 किमी0) हेतु 3.15 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

संदर्भ :- 1-FP/UK/Road/8763/2014  
2-आपका पत्रांक-1805/17-5 दि0 12.03.2015

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर आख्या निम्नानुसार है -

- 1- शासनादेश प्रस्ताव में कमवार चस्पा कर दिया गया है।
- 2- प्रस्ताव में विषय सूची के अनुसार समस्त प्रमाण-पत्र कमवार नम्बरिंग कर दी गई है।
- 3- प्रस्ताव में भाग-2 प्रपत्र में पूर्ण सूचना अंकित कर दी गई है।
- 4- प्रस्ताव में अंग्रेजी में स्थलीय निरीक्षण चस्पा कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर निराकरण आख्या बिन्दुवार सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

 भवदीय,

(डा0 दिवाकर सिन्हा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

चकराता वन प्रभाग, चकराता

संख्या / तददिनांकित

प्रतिलिपि-अधिसासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड, हरिद्वार, मुख्यालय-कालसी को उनके पत्रांक-807/22-सी दि0 10.04.2015 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

 (डा0 दिवाकर सिन्हा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

चकराता वन प्रभाग, चकराता